

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-\***  
**\*(पत्रांक-104/2025 दिनांक 14.04.2025)\***  
**\*दिनांक-14.04.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**  
**द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही-\***  
थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त मुन्ना सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह साकिन बरईपट्टी थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक बोरी में 39 अदद फ्रूटी अवैध देशी शराब मेरी लैला बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना पटहेरवा पर मु0अ0सं0 85/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*एक अदद पिकप वाहन से वध हेतु ले जायी जा रही 08 राशि गोवंशीय पशु बरामद-\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री उमेशचन्द्र भट्ट के नेतृत्व में गो-तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.04.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा एक अदद पिकप वाहन(यूपी 57 एटी 4044) से वध हेतु ले जायी जा रही 08 राशि गोवंशीय पशु की बरामदगी की गयी। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये, वाहन नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक/स्वामी व चालक कलीम पुत्र कसीम निवासी धनई थाना महाराजगंज कोतवाली जनपद महाराजगंज व उसका साथी नाम पता अज्ञात को चिन्हित कर शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। बरामदगी के आधार पर थाना नेबुआ नौरंगिया में मु0अ0सं0 144/2025 धारा 3/5A,5B/8 गोवंध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 144/2025 धारा 3/5A,5B/8 गोवंध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर



### **\*बरामदगी विवरण-\***

1-01 अदद पिकप वाहन(यूपी 57 एटी 4044)

2-08 राशि गोवंशीय पशु

### **\*बरामदगी करने वाली टीम:-\***

- 1.थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री संदीप कुमार यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 श्री विश्वजीत कुमार थाना नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर
5. उ0नि0 श्री मनीन्द्र कुमार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
6. का0 धनन्जय प्रजापति थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
7. का0 अनिल यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

**\*अन्तर्जनपदीय चोरी गैंग का खुलासा, चोरी के माल से अर्जित 11,000/- रुपये नगद तथा अपराध में प्रयुक्त एक अदद लाठी के साथ दो शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार-\***

दिनांक 23/24.03.2025 की रात्रि थाना कोतवाली पडरौना क्षेत्रांतर्गत वादी मुकदमा अजय चौरसिया के घर की खिड़की की जाली तोड़कर कुछ अज्ञात व्यक्ति घर में घुस गए और घर की अलमारी में रखे सामान को लेकर जा रहे थे। जिसका विरोध करने पर चोट लगने से राकेश एवं अशोक चौरसिया घायल हो गये। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा थाना को0 पडरौना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगायी गयी थी। जिसके क्रम में आज दिनांक 14.04.2025 को थाना को0 पडरौना तथा साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. पसरू पुत्र बिकाऊ पासवान निवासी बाहरी रोड पुरानी बस्ती थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती 2. परवेज आलम पुत्र अफरोज आलम सा0 शेखटोलिया जंगल बनवीरपुर थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को चोरी के माल से अर्जित नगद 11,000/ रू0 तथा अपराध में प्रयुक्त 01 लकड़ी के डण्डें के साथ गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल/प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें सक्रिय है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## **\*अपराध का तरीका-\***

अभियुक्तों(शातिर चोरों) का एक संगठित गिरोह है, जो अपने सरगना के नेतृत्व में अवैध असलहे व कारतूस व लाठी डण्डों के साथ लैस होकर सुनसान इलाके/आउटस्कर्ट्स में मकानों को चिन्हित कर तथा लक्ष्य बनाकर खिड़की के रास्ते रात्रि में ग्रह भेदन कर उक्त मकानों में घुसकर आभूषण व नगद रुपया चोरी करने में माहिर है। साथ ही साथ यदि अपराध कारित करते समय इनकी आहट पाकर घर के लोग विरोध करते तो यह शातिर संगठित गिरोह हिंसा का प्रयोग करते हुए अवैध असलहाँ व लाठी डण्डों से मारपीट कर शारीरिक चोट पहुचाते हुए अपराध कारित कर फरार हो जाते है।

## **\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0-154/2025 धारा 305/331(8) बीएनएस, बढोत्तरी धारा 111(2)/310(2)/317(3) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

## **\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

1. पसरू पुत्र बिकाऊ पासवान निवासी बाहरी रोड पुरानी बस्ती थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती
2. परवेज आलम पुत्र अफरोज आलम सा0 शेखटोलिया जंगल बनवीरपुर थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

## **\*बरामदगी का विवरण-\***

- 1- माल मुकदमाती का नगद 11,000/ रू0
- 2- अपराध मे प्रयुक्त 01 लकड़ी का ठोस डण्डा सूखा खूना लूदा लगा हुआ।

## **\*अभि0 पसरू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-\***

- 1- मु0अ0सं0-56/2018 धारा 380/411/457 भादवि थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती
- 2- मु0अ0सं0-21/2023 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना जीआरपी बस्ती जनपद बस्ती
- 3- मु0अ0सं0-20/2023 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी बस्ती जनपद बस्ती
- 4- मु0अ0सं0-19/2023 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी बस्ती जनपद बस्ती
- 5- मु0अ0सं0-17/2023 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी बस्ती



जनपद बस्ती

6- मु0अ0सं0-226/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पुरानी बस्ती

जनपद बस्ती

7- मु0अ0सं0-223/2022 धारा 379/411 भादवि थाना पुरानी बस्ती

जनपद बस्ती

8- मु0अ0सं0-24/2023 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट थाना जीआरपी बस्ती जनपद बस्ती

9-मु0अ0सं0-154/25 धारा 305/331(8)/111(2)/310(2)/317(3) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

**\*अभि0 परवेज आलम उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-\***

1. मु0अ0सं0-619/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

2. मु0अ0सं0-666/24 धारा 303(2)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

3. मु0अ0सं0-154/25 धारा 305/331(8)/111(2)/310(2)/317(3) बीएनएस थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-\***

1-प्र0नि0 रवि कुमार राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

2-प्र0नि0 श्री मनोज पंत साइबर सेल जनपद कुशीनगर

3-उ0नि0 चन्दन प्रजापति थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

4-उ0नि0 आकाश सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

5-का0 अखिलेश गुप्ता साइबर सेल जनपद कुशीनगर

6-का0 चन्द्रमा बिन्द थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

**\*अन्तर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करी गैंग का पर्दाफाश, एक अदद कन्टेनर वाहन में छिपा कर तस्करी कर ले जाया जा रहा 01 क्विंटल 20 किग्रा0 अवैध गांजा (वाहन सहित कुल कीमत बरामदगी लगभग 72 लाख रुपये) के साथ 03 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार-\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया श्री कुन्दन सिंह के नेतृत्व में अवैध मांदक/ द्रव्य पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.04.2025 को थाना कसया पुलिस व एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा थाना कसया क्षेत्र से एक अदद कैंटेनर HR55AK1767 वाहन में छिपा कर तस्करी कर ले जाया जा रहा 01 क्विंटल 20 कि0ग्रा0 अवैध गांजा व जामा



तलाशी में कुल 740 रू0 नगद व 02 अदद मोबाईल फोन, 02 अदद आधारकार्ड बरामद किया गया तथा मौके से 03 नफर शातिर गांजा तस्करों क्रमशः 1. अजय यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी बड़डाव थाना घोसी जनपद मऊ, 2. विपिन कुमार पाल पुत्र दर्शन सिंह नि0 भरथना चौराहा गली नं0 5 अशोक नगर जनपद इटावा, 3. सुहेल खान पुत्र पप्पू खान नि0 पुराना बस अड्डा इटावा जनपद इटावा को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कसया पर मु0अ0सं0 0232/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*पूछताछ का विवरण-\***

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो गुवाहाटी राज्य असम से अवैध गांजा प्राप्त करते हैं। यह गिरोह अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग गांजे को ट्रक/कंटेनर की केबिन में छिपाकर पुलिस की नजरों से बचते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में तस्करी करते हैं। जिससे वे अवैध रूप से धन अर्जित करते हैं।

### **\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 232/2025 धारा 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कसया जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

- 1- अजय यादव पुत्र रामबदन यादव निवासी बड़डाव थाना घोसी जनपद मऊ।
- 2- विपिन कुमार पाल पुत्र दर्शन सिंह नि0 भरथना चौराहा गली नं0 5 अशोक नगर जनपद इटावा।
- 3- सुहेल खान पुत्र पप्पू खान नि0 पुराना बस अड्डा इटावा जनपद इटावा।

### **\*बरामदगी का विवरण - (कुल बरामदगी कीमत लगभग 72 लाख रुपये)\***

- 1- 01 कुन्तल 20 कि0ग्रा0 अवैध गांजा (गांजे की कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपये)
- 2- एक अदद कैन्टेनर HR55AK1767 (वाहन का कीमत लगभग 42 लाख रुपये)
- 3- जामा तलाशी से अलग-अलग अभियुक्तगणों के पास से कुल 740 रू0 नगद
- 4- 02 अदद मोबाईल फोन, 02 अदद आधारकार्ड।

### **\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***



1-प्र0नि0 ओमप्रकाश तिवारी थाना कसया जनपद कुशीनगर मय टीम  
2-उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी एसटीएफ टीम लखनऊ मय टीम

**\*थाना सेवरही पुलिस द्वारा 103 पाउच बन्टी बबली अवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.04.2025 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा 103 पाउच बन्टी बबली टेट्रा पैक अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त राधेश्याम चौहान पुत्र रतन चौहान ग्राम कोइरपट्टी थाना ठकरहा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 109/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

109/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

राधेश्याम चौहान पुत्र रतन चौहान ग्राम कोइरपट्टी थाना ठकरहा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार

**\*बरामदगी विवरण:-\***

103 पाउच बन्टी बबली टेट्रा पैक अवैध देशी शराब

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\***

1. थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. चौकी प्रभारी कस्बा उ0नि0 श्री अनिल शर्मा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. का0 अमित सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का0 प्रदीप सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

**\*एक मैजिक पिकप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 03 राशि गोवंश के साथ दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री रिदेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी



तमकुहीराज श्री अमित सक्सेना के नेतृत्व में गो-तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.04.2025 को थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा थाना पटहेरवा क्षेत्र से एक मैजिक पिकप वाहन नं0 UP 57 AT 8207 से तस्करी कर वध हेतु ले जायी रही 03 राशि गोवंश, एक लकड़ी का ठीहा व एक बांका के साथ 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 84/25 धारा 3/5A,5B/8 गोवंध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 84/25 धारा 3/5A,5B/8 गोवंध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट

### **\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

1. उदयभान सिंह पुत्र जितई सिंह निवासी ग्राम धुरिया थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. हैदर अली पुत्र फरामुरूज निवासी ग्राम पिपराकनक थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

### **\*बरामदगी का विवरण-\***

01. एक मैजिक पिकप वाहन नं0 UP 57 AT 8207
02. तीन राशि गोवंश
03. एक अदद लकड़ी का ठीहा व एक अदद बांका

### **\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1. SO श्री विनय कुमार मिश्रा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार वर्मा चौकी प्रभारी फाजिलनगर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
3. उ0नि0 श्री धीरेन्द्र वर्मा थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
4. का0 मुलायम यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
5. का0 संजय सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर ।
6. का0 रितेश कुमार राय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
7. का0 अलतमस थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

### **\*शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 33 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत



आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में=\***

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-64 वाहन

2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-46, व्यक्ति-125

3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(09)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-42)

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***

